

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना—पत्र संख्या – 40 / 2013 / जोधपुर.

(सम्बन्धित अपील संख्या—47 / 1998 / जोधपुर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्-सी, जोधपुर
बनाम

अप्रार्थी(अपीलार्थी)

मैसर्स जयराज जितेन्द्र कुमार जैन,
कृषि मण्डी भगत की कोठी, जोधपुर

.....प्रार्थी(प्रत्यर्थी)

खण्डपीठ

**श्री मनोहर पुरी, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**

उपस्थित :

श्री वी.के.पारीक,
अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रार्थी की ओर से

श्री डी. पी. ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27 / 11 / 2015

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह संशोधन प्रार्थना—पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 47 / 1998 / जोधपुर में खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 में संशोधन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 सप्तित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्-द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) ने प्रार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य के बाहर के पंजीकृत व्यवहारियों को भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में घोषणा पत्र "एच"फार्म के विरुद्ध, तिल (तिलहन) की रु0 71,30,898/- बिकी घोषित कर, इस संबंध में करारोपण से कटौती चाही गयी परन्तु निर्धारण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के दौरान, निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया गया कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा खरीद माल तिल (तिलहन) के क्य पर, क्य कर अदा नहीं किया गया है जबकि उक्त खरीद माल तिल (तिलहन) अपंजीकृत काश्तकारों व राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से घोषणा प्ररूप एस.टी. 40 के विरुद्ध कर योग्य प्रेषित करना घोषित कर, आढ़त पर विक्रयार्थ भेजा गया था, जिस पर "अधिनियम"—1954 की धारा 9(बी) के तहत क्य कर जमा करवाने का दायित्व, प्रार्थी व्यवहारी के "एजेण्ट" होने के कारण था, जिसे जमा करवाने के अभाव में, कर निर्धारण अधिकारी ने तिल (तिलहन) के क्य कीमत रु0 70,41,267/- "अधिनियम" 1954 की धारा 5A के तहत 4 प्रतिशत की दर से क्य कर, आरोपित करने हेतु नोटिस दिनांक 16.03.1993 के लिये जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने समय—समय पर उपस्थित होकर स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर, सुनवायी हेतु दिनांक 22.03.1993 नियत की गयी। जारी नोटिस का जवाब प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया अपितु प्रार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष याचिका

लगातार.....2

संख्या 1489/93 रोक आवेदन पत्र 1358/93 प्रस्तुत किये गये। माननीय उच्च न्यायालय ने जरिये आदेश दिनांक 17.03.1993 के द्वारा कर निर्धारण कार्यवाही पर रोक आदेश जारी किया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 1489/93 का निस्तारण दिनांक 05.04.1995 को कर, आदेश दिये कि प्रार्थी व्यवहारी वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनायें कमांक प.4(8) एफडी/ग्रुप-IV/94-51 दिनांक 07.03.1994 व प.4(11) एफडी/ग्रुप-IV/94-80 दिनांक 27.03.1994 की शर्त संख्या-1 व 2 पूरी करता है तो प्रार्थी व्यवहारी पर क्य कर का दायित्व नहीं बनता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि प्रार्थी व्यवहारी ने, जो माल भारत के बाहर निर्यात करने के अनुक्रम में विक्य किया है, के लिये की गयी खरीद पर क्य कर के आरोपण बाबत कोई बल नहीं दिया गया है। अगर प्रार्थी व्यवहारी क्य कर से राहत चाहता है तो इस हेतु अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करे जिसे राज्य सरकार द्वारा दो माह में निर्णित करें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया कि प्रार्थी व्यवहारी को निर्धारण वर्ष 1989-90 में राज्य के बाहर के पंजीकृत व्यवहारियों को भारत के बाहर निर्यात के प्रयोजनार्थ घोषणा पत्र “एच” के विरुद्ध तिल (तिलहन) कीमत रु0 71,30,898/- बिकी की गयी है, जिस पर विक्य भार का दायित्व नहीं बनता परन्तु प्रार्थी व्यवहारी द्वारा क्य कर के दायित्व के बावजूद, इसे अदा नहीं करने के कारण, अधिनियम की धारा 5A के तहत 4 प्रतिशत की दर से क्य कर आरोपित करने हेतु, पुनः नोटिस दिनांक 30.06.1995 के लिये जारी किया गया। उक्त तिथि को प्रार्थी व्यवहारी द्वारा समय चाहा गया। तत्पश्चात्, दिनांक 26.03.1995 को प्रार्थी व्यवहारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर, निवेदन किया कि भारत के बाहर निर्यात के दौरान की गयी बिकी पर क्य कर हटाने हेतु उनकी एसोसियेशन द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया है तथा उक्त प्रकरण की कालावधि दिनांक 30.06.1996 तक होने के कारण उक्त प्रकरण की कर निर्धारण अवधि को 6 माह के लिये बढ़ाने का निवेदन, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त को लिखा गया। जिसके कम में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जारी आदेश कमांक प.16 (विविध) कर/आयुक्त/95/4529 दिनांक 27.03.1996 के निर्धारण आदेश की अवधि समाप्ति से 6 माह के लिये बढ़ायी गयी। इसी कम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का जवाब प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे कतिपय न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, विधिसम्मत नहीं होना अवधारित कर, अस्वीकार किया गया एवम् विवादित मांग राशियां कायम कर, कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया गया जिससे व्यक्ति होकर, प्रार्थी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील करने पर, राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 06.02.2012 के द्वारा प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। कर बोर्ड की खण्डपीठ के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने परिशोधन प्रार्थना पत्र में लिखित अंकन को दौहराते हुए कथन किया कि कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 6.2.2012 में क्रय कर रु0 81,651/- की पुष्टि करने की विधिक भूल होने के कारण इसे संशोधित किया जावे। क्रय कर के संबंध में उन्होंने राजस्थान सरकार की विज्ञप्तिया का हवाला दिया जो निम्न प्रकार से हैः—

- (अ) F.4(8)FD Gr/94-51 dated 7.3.94 (प्रकाशित जे के जैन पृष्ठ 225)
- (ब) F.4(2)FDGr/95-80 dated 2 7.3.95(प्रकाशित जे के जैन पृष्ठ 257 नं. 985-ए)
- (स) बजट भाषण 5 मार्च 2003 भाग 2 क्रमांक एवं इसी तरह अपंजीकृत व्यवसाईयों से खरीद कर प्रभासए से क्रय से मुक्त करना प्रस्तावित करता है। (प्रकाशित 2003 (5) टैक्सअपडेट)
- (द) बजट भाषण 5 मार्च 2003
- (य) स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नेसले इण्डिया लि 0 9 टैक्स अपडेट 185(सु.को.)

उक्त उल्लेखित बजट भाषण 5 मार्च 2003 को वित्त मंत्री ने अपंजीकृत व्यवसाईयों से खरीद कर निर्यात हेतु बेचे गये तिलहन को भी भूल एवं त्रुटि होने के कारण धारा 33 में संशोधित करना आवश्यक है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय कमीशन ऑफ सेल्स टैक्स यू.पी. बनाम मैसर्स बख्तावर लाल कैलाश चन्द व अन्य 87 एस.टी.सी. 196 एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय मैसर्स मुकन्द लाल बनारसीदास बनाम कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स यू.पी. 135 एस.टी.सी. 524 तथा कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स यू.पी. बनाम राधेश्याम रामअवतार 107 एस.टी.सी. 122 का हवाला देते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ ने अपने निर्णय में उक्त न्यायिक दृष्टान्तों को नजर अन्दाज करके विधिक त्रुटि की है जो संशोधन की परिधि में होने के कारण संशोधन किया जावे। यह भी कथन किया कि प्रार्थी व्यवहारी ने रु0 54,19,300/- की बिक्री की है, उस तिलहन को उन्होंने काश्तकारों से कोई खरीद नहीं की है तथा काश्तकारों का माल उनके खाते में जमा कराकर काश्तकारों के निर्देश पर ही भारत के बाहर विक्रय व्यवहार किया है एवं पंजीकृत व्यवसाईयों से एस.टी.40 प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त माल काश्तकारों का है। प्रार्थी व्यवहारी ने मात्र आढ़त प्राप्त की है इन संव्यवहारों पर धारा 5-ए के प्रावधानुसार क्रय कर का दायित्व प्रार्थी व्यवहारी पर नहीं होता है। उनका निवेदन था कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

4. अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं अधिनियम के प्रावधानों का समुचित विश्लेषण करते हुए विभाग की अपील आंशिक स्वीकार की है, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने माननीय खण्डपीठ के सन्दर्भित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत सचेतन मस्तिष्क से पारित निर्णय को संशोधित नहीं किया जा सकता। उक्त धारा के तहत केवल पिपिकीय त्रुटि ही संशोधनीय है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक

वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 का हवाला देते हुए संशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने पर जोर दिया।

5. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 06.02.2012 में संशोधन की मांग की है।

6. प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय में संशोधन हेतु वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत ये परिशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वेट अधिनियम की धारा 33 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

33. Rectification of a mistake. —

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. — A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) के सन्दर्भ में सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :—

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to

लगातार.....5

come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

8. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 101 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्फ्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी.कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 में प्रतिपादित किया गया है कि:-

In my view, rectification implies the correction of an error or removal of defects or imperfections and could not be used to appreciate the evidence on new facts which after rectification is made right.

In view of what has been observed herein above, the order of the Tax Board, by which the order has been rectified, certainly appears to be reviewing its own order and coming to different conclusion than what was reached by the Tax Board earlier on 08.05.2007.

Consequently, the instant Sales Tax Revision Petition stands allowed. The question of law is decided in favour of the revenue by holding that the Tax Board was unjustified in reviewing the order in the garb of rectification. Accordingly order dt. 27.01.2009 is quashed & set aside. No costs.

9. प्रार्थी ने परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रकरण के अभिलेख में विभिन्न तथ्यात्मक बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण/गुणदोष विवेचन की मांग की है तथा अनेक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। निर्णय के संबंध में संशोधन की मांग में अनेक तर्क प्रस्तुत किये जाने, अभिलेख के पुनः परीक्षण/गुणदोष विवेचन की मांग किये जाने व अन्य अधिनियम के निर्णय, व्याख्या, वर्गीकरण के बिन्दु के आधार पर विवेचन की मांग के आधार पर प्रार्थना पत्र को संशोधन प्रार्थना पत्र की परिधि में शुमार नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 06.02.2012 में इन समस्त तथ्यों पर परीक्षण करते हुए विस्तृत व्याख्या सहित आदेश पारित किया है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार होने योग्य है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

27-11-2015
(इश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

27-11-2015
(मनोहरपुरी)
सदस्य